प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेजगांव के मुख्य भवन की विशेष मरम्मत एवं जनपद-बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर के मुख्य भवन में मरम्मत सम्बन्धी कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-602/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 20.12.2025 तथा शासनादेश संख्या-आई0/1075021/2025-5-6099/260/2025, दिनांक 01.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 01.09.2025 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु "उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतदद्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेजगांव के मुख्य भवन की विशेष मरम्मत एवं जनपद-बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर के मुख्य भवन में मरम्मत सम्बन्धी कार्य हेतु धनराशि रूपये 181.60 लाख (एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2025-26 में नहीं की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,81,60,000 (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210021030700 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक</u> :- यथोक्त।

भवदीय,

आनन्द कुमार राय

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेली एवं बस्ती।
4. निदेशक (प्रशासन/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/बस्ती मण्डल, बस्ती।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली एवं बस्ती।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. परियोजना प्रबन्धक, "उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ/रायबरेली/बस्ती।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार राय

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A005-2025-2026-5 6099 260 2025 6

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेजगांव के मुख्य भवन की विशेष मरम्मत एवं जनपद-बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर के मुख्य भवन में मरम्मत सम्बन्धी कार्यों हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210021030300 (प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण)	60 (भूमि क्रय)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	1,81,60,000 रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र	1,81,60,000 रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र	3,18,40,000 रुपये तीन करोड़ अट्ठारह लाख चालीस हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 1,81,60,000	₹ 1,81,60,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210021030700 (प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	1,81,60,000 रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र	1,81,60,000 रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र	31,81,60,000 रुपये इक्तीस करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 1,81,60,000	₹ 1,81,60,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

(1) **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**

प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण के मद में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में आय-व्ययक में क्रम संख्या-1 में अंकित मद में रूपये 500.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष

http://shasanadesh.up.gov.in

रूपये 252.45 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव विचाराधीन होने के पश्चात इस मद में रूपये 247.55 लाख आय-व्ययक अवशेष है। इसके अन्तर्गत रूपये 181.6 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

शासकीय पत्र दिनांक 01.09.2025 द्वारा महानिदेशालय के पत्र दिनांक 24.06.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जनपद-रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेजगांव के मुख्य भवन की विशेष मरम्मत एवं जनपद-बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर मुख्य भवन मरम्मत सम्बन्धी हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 3000,00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष रूपये 1641.32 लाख की स्वीकृति जारी होने एवं रूपये 1358.68 लाख के प्रस्ताव विचाराधीन होने के उपरान्त इस मद में आय-व्ययक अवशेष नहीं है। इस मद में रूपये 181.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्विष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-288, दिनांक 08 फरवरी, 2026

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।